समक्ष इकबाल सिंह , जे

करनाल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट,-प्रतिवादी/याचिकाकर्ता

ईश्वर चंदर,-वादी/प्रतिवादी

1998 का सी. आर. सं. 5185

8 अक्टूबर, 1999

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908-0.39* आर. एल. *4*-यथास्थिति के आदेश को संशोधित करना--मुकदमे की अदालत ने कब्जे के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया-मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया-वादी ने 39 आर. एल. के तहत आवेदन दायर किया। *4* यथास्थिति आदेश को संशोधित करने और दीवार के पुनर्निर्माण की अनुमति लेने के लिए-निचली अदालत द्वारा खारिज किए गए आवेदन और बाद में अपीलीय अदालत द्वारा चारदीवारी के पुनर्निर्माण की अनुमति-विवादित आदेश ने मुकदमे में मांगे गए अनिवार्य निषेधाज्ञा को वस्तुतः राहत प्रदान की-टिकाऊ नहीं-आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता के आदेश 39 नियम 4 के तहत, कोई पक्ष निषेधाज्ञा के आदेश के निर्वहन, परिवर्तन या अलग करने की मांग कर सकता है यदि यह परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण आवश्यक है या यदि निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश ने उसे अनुचित कठिनाई का कारण बनाया है। पुनरीक्षण के अधीन आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायालय ने एक तरह से राहत प्रदान की है, कम से कम अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत, जैसा कि वादी को चारदीवारी के पुनर्निर्माण की अनुमति देकर वाद में दावा किया गया है और यह पक्षकारों को साक्ष्य देने के अवसरों को दिए बिना वाद का आदेश देने के बराबर होगा।निचली अपीलीय अदालत को किसी आवेदन पर निचली अदालत के निष्कर्ष को परेशान करने/बदलने में धीमी गति से चलना चाहिए।39 आरएलएस। संहिता के 1 और 2 में निचली अदालत की राय को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सी. बी. गोयल।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता के. सी. भाटिया।

न्याय

इकबाल सिंह, जे.

(1) वादी-प्रत्यर्थी ने प्रतिवादी सुधार न्यास को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया, ताकि वाद के साथ संलग्न स्थल योजना में 'ई बी सी एफ' के रूप में दिखाए गए हिस्से को ध्वस्त न किया जा सके।मुकदमे के साथ, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 (संक्षेप में "संहिता") के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दो आवेदन भी दायर किए।एक आवेदन में, वादी ने प्रतिवादी को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान स्थल योजना में ई. बी. सी. एफ. के रूप में दिखाए गए हिस्से को ध्वस्त नहीं करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए अनुरोध किया और दूसरे आवेदन में, अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए एक प्रार्थना की गई, जिसमें प्रतिवादी को स्थल योजना में ई. बी. सी. एफ. के रूप में दिखाए गए हिस्से को ध्वस्त नहीं करने के लिए और आगे, मुकदमे के निर्णय तक उससे जबरन और अवैध कब्जा नहीं लेने के लिए कहा गया।निचली अदालत ने मामले पर विचार करते हुए पक्षों को मौके पर मौजूद स्थिति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।प्रतिवादी ने शिकायत में किए गए कथनों का खंडन करते हुए लिखित बयान दायर किया।वाद के लंबित रहने के दौरान, वादी के आरोपों के अनुसार, प्रतिवादी ने चारदीवारी और विवाद में घर के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया।इसलिए, वादी ने प्रतिवादी को चारदीवारी और घर को उसी स्थिति में बहाल करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत जोड़ने के लिए शिकायत में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, जो पहले अपनी मूल स्थिति में था।प्रार्थना के अनुसार संशोधन की अनुमति दी गई थी।

(2) इस बीच, वादी ने संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 4 के तहत एक आवेदन भी दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने चारदीवारी और घर के कुछ हिस्से को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया था और चारदीवारी के विध्वंस के कारण, घर असुरक्षित हो गया था क्योंकि यह ऐसे इलाके में स्थित है जहां चोरी आदि का कोई भी अपराध किसी भी समय हो सकता है।यह भी कहा गया कि वादी की पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और बीस साल की एक छोटी बेटी भी उक्त घर में वादी के साथ रह रही थी।इसलिए, घर और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पहले पारित

यथास्थिति के आदेश को संशोधित किया जा सकता है और वादी को न्याय और समानता के हित में, विचाराधीन सदन की चारदीवारी के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।आवेदन का विरोध किया गया।यह कहा गया था कि यदि आवेदन में की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह मुकदमे में दावा की गई अंतिम राहत देने के बराबर होगा, जो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मुकदमे पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं हो जाता।

(3) मामले पर विचार करने पर, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संहिता के आदेश 39 नियम 4 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि इन प्रावधानों के तहत, सीमा की दीवारों को फिर से बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।प्रतिवादी ने इसकी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया, जिसकी पुष्टि स्थल योजना से होती है, जो वादी की संपत्ति के संबंध में 15 जुलाई, 1994 के बिक्री विलेख का एक हिस्सा था।निचली अदालत इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि स्थल योजना के साथ-साथ बिक्री विलेख में यह हिस्सा वादी को बेचा नहीं गया था और केवल एक भूखंड उसे बेचा गया था, जो विवादग्रस्त संपत्ति के बगल में पड़ा था।इस प्रकार वादी विवादग्रस्त संपत्ति का मालिक नहीं था।निचली अदालत ने आगे कहा कि वादी द्वारा प्रतिवादी की भूमि पर चारदीवारी के आकार में किया गया निर्माण निश्चित रूप से एक अतिक्रमण था और वादी को चारदीवारी के पुनर्निर्माण की अनुमति देने का मतलब उसे प्रतिवादी की भूमि पर अतिक्रमण करने की अनुमति देना होगा।इस प्रकार आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, इसे निचली अदालत द्वारा 2 जून, 1998 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(4) उपरोक्त आदेश के खिलाफ वादी ने अपील दायर की।अपीली अदालत ने पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद कहा कि संहिता के आदेश 39 नियम 4 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य था। अपीलीय न्यायालय कानून के इस प्रस्ताव के प्रति सचेत था कि दुर्लभतम मामलों में अनिवार्य निषेधाज्ञा दी जा सकती है।इस प्रकार, इसने यह भी देखा कि प्रेजेंट उस तरह का मामला था।इसलिए, अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और वादी को 12 नवंबर, 1998 के आदेश द्वारा वाद संपत्ति की चारदीवारी का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी।—

> "जैसा कि दीवार के विध्वंस से, अपीलार्थी/वादी का घर जो एक असहाय अधिवक्ता है, सभी के लिए खुला हो गया है।शहर में कानून और व्यवस्था की समस्या और विभिन्न हत्याओं, डकैती और बलात्कार के मामलों के इन दिनों में, अपीलार्थी/वादी के परिवार की सुरक्षा खतरे में है। अदालत को वास्तविक दिन-प्रतिदिन की घटना को देखे बिना एक तंग डिब्बे में नहीं बैठना चाहिए।यदि आवेदन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो कुछ गलत हुआ जो अपीलार्थी-वादी के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी।वह भी भले ही अपीलार्थी/वादी ने फाइल पर विवादित संपत्ति के अपने पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख दिखाया हो।25 अप्रैल, 1975 का बिक्री विलेख फाइल में है और इसके साथ 15 मई, 1974 का एक साइट प्लेल संलग्न है।15 जुलाई, 1974 की स्थल योजना में दिखाई गई सीमाएं, आयाम और बिक्री विलेख के के साथ दायर स्थल योजना के साथ मिलान यह सभी साक्ष्य स्थानीय आयुक्त श्री भगत सिंह की रिपोर्ट के साथ हैं।
>
> नायब तहसीलदार, करनाल अपीलार्थी/वादी के मामले का समर्थन करते हैं कि यह वाद संपत्ति खसरा सं. 5471 में है न कि खसरा सं. 5848 में।13 जून, 1997 के यथास्थिति के आदेश और 2 जून, 1998 के आदेश द्वारा अपीलार्थी/वादी को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ा है।इसलिए इस मामले की विचित्र परिस्थितियों को देखते हुए, यथास्थिति का आदेश बदला जा सकता है और विद्वान वकील द्वारा 2 जून, 1998 को पारित आदेश को इसके द्वारा उलट दिया जाता है।"

(5) मैंने पक्षकारों की विद्वान वक़ील को सुना है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संहिता के आदेश 39 नियम 4 के तहत आवेदन को अनुमति देना मुकदमे का आदेश देने के बराबर होगा और बाद में कुछ भी तय नहीं किया जाएगा।दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह अभी तक रिकॉर्ड पर साबित नहीं हुआ है कि क्या विवादित स्थल वादी को बेची गई संपत्ति का हिस्सा है और क्या उसे उस पर निर्माण करने का अधिकार है या नहीं।उन्होंने आगे कहा कि घर और वादी के परिवार की सुरक्षा सर्वोपरि है क्योंकि चारदीवारी के अभाव में, न केवल अपराधियों और अजनबियों बल्कि भटके हुए जानवरों की भी घर और संपत्ति तक पहुंच होगी, जिससे वादी के घर के मामले प्रभावित हो सकते हैं।

(6) जिस प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संहिता के आदेश 39 नियम 4 के तहत पारित किया जा सकता है।इसलिए, मैं संहिता के आदेश 39 के नियम 4 के प्रावधानों पर ध्यान देना उचित समझता हूं, जो इस प्रकार है:

"**4.** निषेधाज्ञा के आदेश को हटाया जा सकता है**,** बदला जा सकता है या रद्ध किया जा सकता है।—

निषेधाज्ञा के लिए किसी भी आदेश को अदालत द्वारा ऐसे आदेश से असंतुष्ट किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर खारिज, परिवर्तित या अलग किया जा सकता है:

बशर्ते कि अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी हलफनामे में, यदि किसी पक्ष ने जानबूझकर किसी सामग्री विशेष के संबंध में गलत या भ्रामक बयान दिया है और निषेधाज्ञा विपरीत पक्ष को नोटिस दिए बिना दी गई है, तो न्यायालय निषेधाज्ञा को तब तक खाली कर देगा जब तक कि, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, वह यह नहीं समझता कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है:

बशर्ते कि जहां किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया हो,

आदेश को उस पक्ष के आवेदन पर निर्वहन, परिवर्तन या रद्ध नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां परिस्थितियों में बदलाव के कारण ऐसा निर्वहन, परिवर्तन या अलग करना आवश्यक हो गया हो, या जब तक कि न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि आदेश ने उस पक्ष को अनुचित कठिनाई पैदा की है।"

निसंधेह यदि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण इसकी आवश्यकता होती है या निषेधाज्ञा के इस आदेश ने इसके लिए अनुचित कठिनाई पैदा की है, तो उक्त प्रावधान के तहत, कोई पक्ष निषेधाज्ञा के आदेश को हटा सकता है, बदल सकता है या रद्द करवा सकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायालय पहले दिए गए यथास्थिति के आदेश को संशोधित करते हुए और वादी को चारदीवारी के पुनर्निर्माण की अनुमति देते हुए इन दो विचारों से प्रभावित हुआ है।यह समान रूप से सच है कि दोनों प्रश्नों के साथ कोई झगडा नहीं होना चाहिए कि वादी को निषेधाज्ञा के आदेश में संशोधन या परिवर्तन की मांग करने वाले आवेदन को आगे बढ़ाने का अधिकार था और आगे यह कि न्यायालय, उपरोक्त दो कारकों पर विचार करने के अधीन, निश्चित रूप से निषेधाज्ञा के आदेश को निर्वहन, परिवर्तन या रद्द कर सकता है।लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है, वादी ने शुरू में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था जिसमें प्रतिवादी को साइट योजना में ई. बी. सी. एफ. के रूप में दिखाए गए हिस्से को ध्वस्त करने से रोकने का दावा किया गया था कि वह 25 अप्रैल, 1975 से उसी के कब्जे में मालिक था। लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया था, जिसने यह भी कहा था कि वादी इसके अनधिकृत कब्जे में था, और यही कारण है कि प्रतिवादी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी ने एक चारदीवारी का निर्माण करके इसकी भूमि पर अतिक्रमण किया था, उसे ध्वस्त कर दिया।हालाँकि, अपीलीय अदालत ने उस आदेश को संशोधित किया और वादी को चारदीवारी के पुनर्निर्माण की अनुमति दी।यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि हालांकि दोहराव की कीमत पर, इससे पहले वादी ने प्रतिवादी को चारदीवारी को ध्वस्त करने और ना की उससे जबरन और अवैध कब्जा लेने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने के लिए आवेदन दायर किए थे, चारदीवारी को ध्वस्त करने के बाद, मुकदमे में संशोधन के माध्यम से अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत जोड़ी गई थी, जिसमें प्रतिवादी को ई. बी. सी. एफ. चिह्नित संपत्ति के ध्वस्त हिस्से यानी कमरे के एक हिस्से और चारदीवारी को फिर से बनाने का निर्देश दिया गया था, जैसा कि संशोधित शिकायत के पैरा 4 में पूरी तरह से विस्तृत है।इस प्रकार, पुनरीक्षण के तहत आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायालय ने एक तरह से राहत प्रदान की है, कम से कम अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत, जैसा कि वादी को चारदीवारी के पुनर्निर्माण की अनुमति देकर वाद में दावा किया गया है और यह पक्षकारों को साक्ष्य देने के अवसरों को प्रदान किए बिना वाद का आदेश देने के बराबर होगा।मेरी राय में, वादी के घर की सुरक्षा और मामलों के लिए कितना भी गंभीर खतरा हो सकता है जैसा कि सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रदर्शित करने की मांग की गई है।

वादी दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है।इसके अलावा, परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है, लेकिन चारदीवारी के अभाव में वादी को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा है, वह ऐसी नहीं है जो चारदीवारी के पुनर्निर्माण के लिए वादी को अनुमति देने के लिए उचित हो।यह एक ऐसा प्रश्न है जो सीधे तौर पर गुणों और मुकदमे में मांगी गई मुख्य राहत को छूता है, जिसे स्पष्ट रूप से उन साक्ष्यों की सराहना किए बिना प्रदान नहीं किया जा सकता है जो नियत समय में पक्षों द्वारा नेतृत्व किए जा सकते हैं। न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह भी नहीं दिखाया गया है कि चारदीवारी के अभाव में वादी को कोई अपूरणीय क्षति होगी।इसके अलावा, उपरोक्त प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति का उपयोग अन्यथा संयम से किया जाना चाहिए।यह भी कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि निचली अपीलीय अदालत को संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन पर निचली अदालत के निष्कर्ष को परेशान करने/बदलने में धीमी गति से चलना चाहिए और निचली अदालत की राय

के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।इस प्रकार अपीलीय न्यायालय पहले पारित यथास्थिति के आदेश को संशोधित करने और वादी को चारदीवारी के पुनर्निर्माण की अनुमति देने में सही नहीं था।

8). उपरोक्त कारणों से, पुनरीक्षण याचिका सवीकार की जाती है। निचली अपीलीय अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और निचली अदालत के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।संहिता के आदेश 39 नियम 4 के तहत वादी का आवेदन तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में, मैं यह उचित समझता हूं कि मुकदमे का निर्णय जल्द से जल्द किया जाए।इसलिए, निचली अदालत को प्रत्येक पक्ष को उनके संबंधित साक्ष्य के लिए कम से कम दो प्रभावी अवसर देने के बाद छह महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है।निचली अदालत इस निर्देश के अनुपालन की रिपोर्ट भी इस अदालत को देगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा